Statement

Representation of SC/ST in central services as on **1-1-91**

Category	Group A	Group B	Group C	Group D Excluding Sweepers	Total
TOTAL	62560	102532	2402089	1167836	3735017
SC	5689	12115	376015	248101	641920
Percentage	9·09	11·82	15·65	21·24	17·19
ST	1584	2414	119666	79589	203253
Percentage	2·53	2·35	4·98	6·82	5·44

केन्द्रीय भण्डार से कमीशन लेने वाले अधिकारी

2396. **मौलाना ओबेदुल्ला खान आजमी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "केन्द्रीय भण्डार" के अधिकारियों द्वारा वस्तुओं के आपूर्तिकर्ताओं से कमीशन लेने के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान "केन्द्रीय भण्डार" के अधिकारियों द्वारा वस्तुओं के आपूर्तिकर्ताओं से कमीशन लेने संबंधी कोई भी मामला इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं लाया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

Dismissal of employees

2397. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state the number of Central Government Employees terminated, dismissed or removed from their jobs under Article 311 of the Constitution, during the year ending 31st March, 1992?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): The information regarding the number of Central Government employees dismissed, removed or compulsorily retired from service is not centrally available since the power to impose such penalties is exercised by disciplinary authorities in various Ministries/Departments at different levels for different categories of employees as specified in the relevant disciplinary rules.

Code of conduct for high officials

2398. SHRI E. BALANANDAN:
SHRI SUKOMAL SEN:
SHRI MENTAY PADMANABHAM:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to news reports that a large number of Senior bureaucrats have obtained employment for their relations in foreign banks;

(b) whether there is any code of conduct for each officials who seek favour from foreign organisations for their wards specially for employment;

(c) if so, the details thereof; and

(d) whether there has been any violation during the past five years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The service Conduct Rules prohibit the Government servants to use their position or influence directly or indirectly to secure employment for any member of their family in any company or firm.

(d) Notice of violation of Conduct Rules and action thereon is taken by disciplinary authorities at various levels in the Ministries/Departments. Therefore, the required information is not centrally available.

सपन्न लोगों द्वारा निर्धनता उन्मूलन योजनाओं का लाभ उठाया जाना

@2399 **श्री वीरेन जे० शाह :**
श्रीमती सूषमा स्वराज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन की योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में हाल ही में किए गए मूल्यांकन से यह पता चलता है कि इन योजनाओं के लाभ संपन्न लोगों ने उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में इन योजनाओं का लाभ निर्धनों तक पहुंचे सरकार कुछ उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इन उपायों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) जनवरी–दिसम्बर, 1989 के दौरान हुए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी) के समवर्ती मूल्यांकन के तीसरे दौर के अनुसार कार्यक्रम के तहत केवल 6 प्रतिशत मामलों में अपात्र परिवारों को सहायता दी गई। योजना के तहत लाभ का अधिक भाग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले ग्रामीण गरीब परिवारों को मिला था।

(ग) और (घ) अपात्र परिवारों को लाभ न देने तथा गरीब परिवारों के सही-सही चयन के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने 15 नवम्बर, 1991 को सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए थे कि वे प्रत्येक गांव में परिवारों का एक नए सिरे से सर्वेक्षण करें ताकि उन परिवारों का पता लगाया जा सके जो 11,000 रुपए वार्षिक की गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे हैं। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों का सही चयन सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुरक्षात्मक उपाय तथा प्रक्रियायें स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों के सर्वेक्षण से संबंधित कार्य शुरू कर दिया है तथा वह सर्वेक्षण के पूरा होने पर इसके परिणाम केन्द्र सरकार को भेज देगी।

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 1058, 20 जुलाई, 1992 से स्थानान्तरित।